Golden Research Thoughts
Volume 2, Issue. 7, Jan. 2013
ISSN:-2231-5063

Available online at www.aygrt.net

ORIGINAL ARTICLE

सूचना का अधिकारः दशा और दिशा

SAVITRI

PH.D SCHOLAR IN POLITICAL SCIENCE,
SINGANIA UNIVERSITY RAJASTHAN,

सारांश

वर्तमान युग में जहॉ लोकतन्त्र अपनी विकसित अवस्था में पहुॅच चुका है वहीं इसे और अधिक प्रभावशाली बनााने के लिये विश्व भर में शासन पद्धति में और अधिक खुलापन लाने की प्रवृति दिखाई दे रही है। बदलते आर्थिक–सामाजिक परिवेश में, जनता में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता, पूर्ण रूप से जबावदेह और अनुकूल बनाने की आवश्यकता, अधिकांश जनता की यह राय है कि गोपनीयता बरतने के प्रयासों से सरकारी पदाधिकारियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग की संभावना बढ़ जाती है, जैसे विभिन्न कारकों से सरकारी कार्य–पद्धति में पारदर्शिता की मांग की जाती है। हालांकि पूरी तरह से खुलापन बरता जाना न तो व्यवहार्य है और न वांछनीय। तदनुसार सरकारी कार्यपद्धति में खुलेपन के प्रति सन्तुलित दृष्टिकोण विकसित करना अनिवार्य है। विश्व में सभी सरकारों द्वारा सुविचारित रूप से जनता से जानकारी को छुपाया जाता है, परन्तु इसकी मात्रा, प्रकृति और कारण अलग–अलग होते हैं। पूंजीवादी तथा लोकतांत्रिक देशों में समाजवादी या एकलवादी शासन तन्त्रों की तुलना में अधिक खुलापन पाया जाता है। फिर भी विश्व में कहीं भी सरकारी कार्य–पद्धतियों में पूरी तरह खुलापन नहीं बरता जाता है। जहॉ तक उचित और व्यवहार्य होता है लोगों की मांगों के समाधान का प्रयास किया जाता हैं। पारदर्शिता देश के सांवधानिक और संसदीय तन्त्र के अनुकूल होनी आवश्यक है।

प्रस्तावना :

सूचना पाने का मनुष्य को मौलिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार कभी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, इसी को लेकर विश्व में सभी जगह विवाद रहा है और जहॉ भी जनता जागरूक हुई वहॉ इस अधिकार को प्राप्त करने में सफलता मिली। सूचना के अधिकार को लेकर विश्व के विभिन्न देशों में कानून बने। स्वीडन सूचना का अधिकार का कानून बनाने वाला पहला देश है। यहां वर्ष 1766 में प्रेस की स्वतंत्रता नामक कानून बनाया गया। अमेरिका जैसे विकसित और शक्तिशाली देश में यह अधिकार 1966 में अस्तित्व में आया और समय–समय पर पड़े दबावों के फलस्वरूप इसमें जनहित की दृष्टि से संशोधन भी किये गये। सूचना के अधिकार के कानून को अधिक से अधिक जिन राष्ट्रों ने स्वीकार किया उनमें से अधिकतर उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश हैं। जहॉ तक दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों का सवाल है, वहॉ सूचना के अधिकार की कोई चर्चा नहीं है। रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई उनके लिए सूचना के अधिकार से बड़ी लड़ाई है। भारत में सूचना के अधिकार का संघर्ष आजादी मिलने के लगभग पॉच दशक बाद सुनियोजित रुप से प्रारम्भ हुआ।

सूचना के अधिकार का अर्थ व स्थिति

भारत में सूचना अधिकार के अधिनियम, 2005 (RTI Act,2005) के अनुच्छेद–2(j) के अनुसार, 'सूचना के अधिकार का' अर्थ पहुॅच योग्य सूचना का, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियन्त्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है 1 और जिसमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैंः–

कार्यों ,दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षिण करना;
दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियॉ लेना;
सामग्री के प्रमाणित नमुने लेना;

यदि सूचना कम्प्यूटर या अन्य तरीके से रखी गई है तो डिक्टेट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट या अन्य इलैक्ट्रानिक माध्यम या प्रिंट आउट के रुप में सूचना प्राप्त करना।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (2) के अन्तर्गत न केवल भाशण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता शामिल है बल्कि नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार इसमें शामिल है। अनुच्छेद 19 (1) (क) इसकी रक्षा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राज नारायण AIR1975 SC 865 के वाद में उच्चतम न्यायलय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 19 (1) (क) के अर्न्तगत सूचना प्रेशित करना और प्राप्त करना

Title: *सूचना का अधिकारः दशा और दिशा*
Source:Golden Research Thoughts [2231-5063] SAVITRI yr:2013 vol:2 iss:7

या सूचना जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हमारे देश की प्रजातान्त्रिक सरकार में लोगों को सार्वजनिक कार्यों या जो कुछ भी जनता के लिए जा रहे निर्णय हैं, के बारे में जानने का पूर्ण अधिकार है। यह अधिकार आत्यंतिक नहीं है, इस पर जनहित में प्रतिबन्द भी लगाया जा सकता है। सचिव सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार बनाम क्रिकेट एसोशिएसन, बंगाल AIR SC 1236 के वाद में सर्वोच्च न्यायलय ने माना कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) में समाहित है। दिनेश त्रिवेदी बनाम भारतीय सघं (1997) 4 SC 306 के वाद में सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि सरकार किसी मामले पर क्या निर्णय लेने वाली है अथवा यह कि वह क्या कार्यवाही करने वाली है, वाक् की स्वतन्त्रता है और यह एक मूल अधिकार है, परन्तु अधिकार लोक सुरक्षा और गोपनीयता के अध्यारोही हित के अधीन है।[2]

एसोशिएसन फॉर डैमोक्रेटिक रिर्फोम्स बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया AIR 2001 Delhi 126 के वाद में दिल्ली उच्च न्यायलय ने महसूस किया कि जानने का अधिकार चुनावों के परिपेक्ष्य में विशेष महत्व रखता है। यह सामान्य बात है कि वर्तमान में राजनीति का आपराधीकरण हो रहा है , यह मुद्दा महत्वपुर्ण है कि चुनावों के जरिए असामाजिक तत्व राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। चाहे वह राज्य की विधायिका हो या संसद इस सम्बन्ध में उम्मीदवार के बारे में सूचना प्राप्त करना मतदाता का अधिकार है। उच्चतम न्यायलय का यह निर्णय अत्यन्त प्रशंसनीय है यह निर्णय सूचना का अधिकार अधिनियम पारित करने में मील का पत्थर साबित हुआ।[3]

विश्व परिदृश्य में सूचना का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा को दिसम्बर 1966 में स्वीकृति दी और यह प्रसंविदा मार्च 1976 से लागू हो गई। इस प्रसंविदा के अनुच्छेद 19 (2) सूचना की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित प्रावधान है जो निम्नलिखित हैः–

बिना किसी हस्तक्षेप के हर व्यक्ति को विचार रखने की स्वतन्त्रता होगी;

हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार होगा, इसमें सभी प्रकार की सूचनाएं और विचार एकत्रित करने, प्राप्त करने और उन्हें लोगों तक पहुॅचाने का अधिकार भी शामिल है;

उपर्युक्त अधिकारों का प्रयोग करने वालों के कुछ विशेश अधिकार, कर्तव्य औरजिम्मेदारियां भी होंगी यानी इस पर कुछ प्रतिबन्ध भी हो सकते हैं, जिनका कानून में स्पष्टतः उल्लेख होगा, जैसे– यह अधिकार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की गोपनीयता को भंग नहीं कर सकता तथा राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य और सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के मामले इस अधिकार के दायरे से बाहर होगें। [4]

विश्व के कई देशों नें अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार कानून बनाकर या अन्य किसी रुप में उपलब्ध करवाया है। इसमें स्वीडन फिनलैंड, डैनमार्क, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, जापान एवं भारत आदि देश प्रमुख हैं। जहॉ पाकिस्तान ने अध्यादेश जारी कर अपने नागरिकों को वर्ष 2002 में सूचना का अधिकार मुहैया कराया है। वहीं मलेशिया ने अभी तक कोई कानून तो नहीं बनाया है परन्तु उसने कम्प्यूटर प्रणाली के जरिए अपने यहॉ यह प्रणाली विकसित की है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में (2011) विश्व के 193 देश ऐसे हैं जिन्हें सयुंक्त राष्ट्र सदस्यता प्रदान करता है जिनमें से लगभग 85 देशों में सूचना के अधिकार का कानून बन गया है।

भारत में सूचना का अधिकार

अंग्रेजों ने भारत पर लगभग दो सौ वर्ष तक शासन किया। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकारी गोपनीयता अधिनियम, 1923 बनाया, जिसके अनुसार सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह सामान्य जनता से किसी तथ्य को छिपा सकती है, सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य को प्रकट करता है तो सरकार उस व्यक्ति को दण्डित कर सकती है। इस अधिनियम को 1889 में बनाया गया और 1923 में इसे लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के अन्त के बाद 26 जनवरी 1950 को स्वतन्त्र भारत का संविधान लागू हुआ परन्तु संविधान निर्माओं ने सूचना के अधिकार को संविधान में वर्णित नहीं किया । इस प्रकार सरकारी गोपनीयता कानून 1923 की 5 व 6 के प्रावधानों का फायदा उठाकर ही सरकार सूचना को सामान्य जनता से छिपाकर रखती थी। सूचना के अधिकार की मांग राजस्थान से प्रारम्भ हुई। राज्य में सूचना के अधिकार के लिए जनआन्दोलन की शुरुआत 1994 में मजदूर किसान शक्ति संगठन द्वारा अरुणा राय की अगुआई में भ्रष्टाचार के भण्डाफोड़ के लिए 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के रुप में हुई। यह शुरूआत पाली जिले की रायपुर तहसील के कीट किराना गॉव से हुई। मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 6 अप्रैल 1996 को ब्यावर के उपखण्ड अधिकारी को एक ज्ञापन दिया व ब्यावर में इस अधिकार को लेकर अनिश्चिकालीन धरना भी दिया गया। जून 1997 में जयपुर के सचिवालय के पास 54 दिनों तक अन्य संगठनों के साथ मिलकर सूचना के अधिकार की मांग को लेकर धरना दिया। इसकी परिणति 1 मई 2000 को राजस्थान के सूचना के अधिकार को विधिक मान्यता मिलने के रुप में हुई परन्तु इसे लागू नहीं किया गया। इसके अलावा देश के मध्यप्रदेश, तमिलनाडू, कर्नाटक, गोआ, असम व दिल्ली आदि राज्यों में भी यह कानून बन चुका है।

एक मुक्त और उत्तरदायी सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से एक सम्पूर्ण सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की संभाव्यता और जरुरत की जांच हेतु श्री एच डी शौरी की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई । इस दल की रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई तथा सूचना की स्वतन्त्रता विधेयक का मसौदा तैयार किया गया जिसे मई 2000 में संसद में पेश किया गया। भारतीय संसद ने दिसम्बर 2002 में ''सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम'' (Freedom of Imformation Act, 2002) पारित किया। इसे जनवरी 2003 में राश्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन नियमावली बनाने के नाम पर इसे लागू नहीं किया गया । मई 2005 में एक नया 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (Right to Imformation Act, 2005) संसद ने पारित किया, जिसे 15जून 2005 को राश्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 12 अप्रैल 2005 को यह अधिनियम, जम्मु कश्मीर को छोड़कर, सारे देश में लागू हुआ। इसी के साथ सूचना की स्वतन्त्रता अधिनियम, 2002 निरस्त हो गया। इसके साथ ही भारत उन 55 देशों में शामिल हो गया जहां नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा हेतु व्यापक कानून हैं।सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रमुख प्रावधान

1.इस विधि को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए केन्द्रिय सूचना आयोग के नीचे राज्य व जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक सूचना आयुक्तों व सूचना प्राधिकारियों की व्यवस्था की है।
2.सूचना प्रप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ नियम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए निःशुल्क आवेदन का भी प्रावधान है। [धारा 6,7;5)]
3.सूचना अधिकारी तीस दिनों के भीतर वांछित सूचना उपलब्ध करवायेगा और यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है तो इसे आवेदन के 48 के भीतर प्राप्त किया जा सकता है। [धारा 7;1)]
4.जहॉ सूचना का आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो लोक सूचना अधिकारी को निम्न तथ्यों को स्पष्ट करना आवश्यक होगा –

.इस प्रकार अस्वीकृत करने के कारण; .अस्वीकृत की अपील का समय जो विहित हो; .अपील अधिकारी के बारे में जानकारी [धारा 7;8)]

5.इस अधिनियम के प्रावधान केन्द्र व राज्य सरकार पर ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व स्वयंसेवी संगठनों पर भी लागू होगें।
6.यदि सूचना अधिकारी विहित समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाता है या आवेदक सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह ऐसे निर्णय या आदेश के तीस दिन के भीतर उसके उच्चस्थ अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा [धारा 19;1)] इस प्रकार के आवेदन को निरस्त या अस्वीकृत करने का अधिकार न्यायोचित था, यह साबित करने का भार केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी पर डाला गया है। ऐसी अपील को निपटने की अवधि 30 दिन निर्धारित की गई है जो किसी भी परिस्थिति में 45 दिन से अधिक नहीं होगी।
7.यदि सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी विहित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करवाता या आवेदन पत्र बिना युक्तियुक्त कारण के निरस्त करता है या आधी–अधूरी सूचना उपलब्ध करवायेगा, भ्रामक सूचना देगा, आदि के लिये प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बिना कारण विलम्ब से सूचना देने वाले अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन तथा अधिकतम 25000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
8. कुछ सूचनाओं को इस अधिनियम के बाहर रखा गया है जिन्हें सार्वजनिक करने से भारत की सम्प्रभुसता और अखण्डता प्रभावित होती हो अथवा राष्ट्र की सुरक्षा, रणनीति अथवा आर्थिक व वैज्ञानिक हितों पर ऑच आती है, ऐसी सूचना जिससे विदेशों से सम्बन्ध खराब होने की आशंका हो या जो किसी अपराध को बढ़ावा दे, से सम्बन्धी सूचना देने से भी मना किया गया है। सूचना जिसकी किसी न्यायलय द्वारा प्रकाशन वर्जित किया गया है या जिसकी सूचना देना न्यायलय का अवमान हो तो ऐसी सूचना भी अधिनियम से स्पष्ट रुप से वर्जित की गई है। (धारा 8)
10.सूचना के कारण प्रतिलिप्याधिकार भंग होता है तो वह सूचना इस अधिनियम के अन्तर्गत अपवाद होगी, लेकिन सरकारी कॉपीराइट इसमें शामिल नहीं है।
11.किसी अभिलेख का कुछ अशं प्रकटीकरण से छूट प्राप्त हो और उसी अभिलेख के दूसरे अंश को प्रकटीकरण से छूट प्राप्त नहीं है ऐसे अभिलेख की सूचना प्राप्त की जा सकती है।
12.किसी भी अभिलेख, दस्तावेज, ई–मेल, विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश संविधा, रिर्पोट व इलेक्ट्रॉनिक रुप में एकत्रित आंकड़ों की जानकारी ली जा सकती है। दस्तावेज की प्रमाणित प्रति, सूचना मुद्रित, फ्लापी, टेप, विडियो कैसेट या अन्य मीडिया माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
13.जहॉ केन्द्रीय व सूचना अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि प्राप्त की गई सूचना के प्रकटीकण में किसी तृतीय पक्षकार का हित है तो ऐसा अधिकारी उस तृतीय पक्षकार को सूचना देगा व तृतीय पक्षकार को अपना पक्ष रखने का अवसर देगा। इसके पश्चात् ही तृतीय पक्षकार को स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना देने को अधिकारी आवेदन पत्र का निपटारा करते समय प्राथमिकता देगा।
14.इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील के अलावा कोई न्यायलय इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई वाद, प्रार्थना पत्र या इस अधिनियम की कार्यवाहीयों के अधीन पारित आदेश का पोषण करेगा।
15.राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभाग, खुफिया विभाग, संवेदनशील विभाग, परमाणु व उपग्रह विभाग तथा ऐसे विभागों की सूचनाओं को जिनसे देश को नुकसान हो सकता है, इस अधिनियम से बाहर रखा गया है।(धारा 24) [5]

सूचना के अधिकार का महत्व

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 आज तक बने हमारे कानूनों में से सर्वाधिक सत्य सर्वाधिक शिव व सर्वाधिक सुन्दर है। [6]
(गोपीनाथ श्रीराम मुण्डे) सर्वोच्च न्यायलय राज नारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा है कि लोग अभिव्यक्त नहीं कर सकते जब तक वे उस मामले को न जाने, सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि भारत एक लोकतन्त्र है, लोग मालिक हैं इसलिये लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारें जो उनकी सेवाओं के लिए है, वे क्या कर रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति कर देता है, यहां तक कि एक भिखरी भी टैक्स देता है (जब वह बाजार से साबुन खरीदता है तो बिक्री कर, उत्पाद शुल्क आदि के रुप में)। इसलिये हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उनका धन किस प्रकार खर्च होता है। पंद्रह सौ साल पहले कौटिल्य ने अपने निरंकुश शासक चन्द्रगुप्त को सलाह दी थी कि,''सभी प्रकार के प्रशासकिय कार्य एक सुसंगठित समिति द्वारा किये जायें तथा ये कार्य इतनी इतनी गोपनीयता से किये जाऐं कि कोई पंछी भी इन्हें देख न सके'' (अर्थशास्त्र 1:15)[7] गोपनीयता जो अलोकतान्त्रिक सरकार या गैर प्रतिनिधि सरकार के लिए लाभकारी है परन्तु लोकतान्त्रिक सरकार के लिए न तो लाभकारी है और न ही वांछित है जहॉ मतदाता टैक्स चुकाने वाले नागरिक है और राज्य की प्रभुसत्ता का स्त्रोत है। कौटिल्य के निरंकुश राज्य की प्रजा के विपरीत लोकतान्त्रिक राज्य में नागरिकों को उन सभी निर्णयों के बारे में जानने का अधिकार है जो उनके नाम पर लिये जाते हैं। ;माजा दारुवाला) [8]

सूचना का अधिकार देश के इतिहास में अब तक सबसे कारगर व प्रभावी कानूनों में से एक है। यह सरकारी कामकाज में पारदर्षिता लाने वाला हथियार है। इस अस्त्र के इस्तेमाल से कई बार सरकारी कार्यप्रणाली की पोल खुल चुकी है। देश में हुए कई छोटे–बड़े घोटालों को सार्वजनिक करने में इसी कानून की भूमिका रही है। प्रसिद्वसामाजिक कार्यकर्ता व मजदूर किसान शक्ति संगठन की कार्यकर्ता अरुणा रॉय के अनुसार, ''हम सब जानते है कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पारदर्शी व जवाबदेह बनाने के लिए सूचना का अधिकार एक मजबूत औजार बन रहा है।''[9] यह सर्वविदित है कि स्वच्छ व लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए सूचना का अधिकार एक सुविधा, तंत्र व व्यवस्था है जो देश में अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई है। हालांकि अपने सात साल के शैशवकाल में ही यह कानून बहुत कारगर साबित हुआ है। खोजी पत्रिका के लिए अब तक 3300 से ज्यादा आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले, अपनी खोजपरक रिर्पोटों के असर पर देश विदेश में कई प्रतिष्ठित सम्मान प्रप्त करने वाले जाने माने विद्वान व पत्रकार श्यामलाल यादव ने इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इस कानून ने हमें बड़ी ताकत दी है। ऐसी अनेक सूचनाएं इस कानून के जरिये बाहर आई हैं जो इसके बिना सम्भव नहीं थी। सूचना निकालने में समय जरुर लगता है लेकिन कई बार प्रभावकारी सूचनाएं निकल आती हैं। यह कानून आम आदमी के लिए है, और लोग इसके जरिय छोटी–छोटी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। 1सूचना अधिकार कानून से बहुत क्रान्तिकारी बदलाव आया है। भ्रष्टाचार को नकेल लगाने वाले इस अधिनियम से जनता का सशक्तीकरण हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि लागू करने से अब तक इसके प्रति जागरुकता प्रभावी ढ़ंग से बढ़ी है। (प्रदीप कुमार 2010 के सर्वश्रेष्ठ जन सूचना अधिकारी)[10]

सूचना का अधिकार गोपनीयता के विरुद्ध पारदर्शिता की वकालत करता ही है, इसके साथ–साथ यह नीतियों के निर्माण एवं कियान्वन में जनसहभागिता को भी प्रोत्साहित है। जनता के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकारें संचालित व नियन्त्रित करने के लिए यह एक हथियार भी है। यह अधिकार एक मूल मानव अधिकार है। यह सभ्य समाज में व्यक्ति के गौरव को बनाये रखने का साधन है। सूचना की जानकारी से कोई व्यक्ति समाज व देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। इसका प्रभावी ढ़ंग से प्रयोग करके वास्तविक रुप से लोकतन्त्र को स्थापित किया जा सकता है। सूचना का अधिकार जनसहभागिता (People'Participation) का अभिकरण है। इस अधिकार के कारण सार्वजनिक मामलों में आम लोगों की भागीदारी बढ़ जाती है और वह अपने लोकतान्त्रिक अधिकारों का प्रयोग सही ढ़ंग से

DSpace™

कर सकता है। यह अधिकार प्राप्त होने से जो लोकतन्त्र केवल प्रतिनिधि के चुनाव तक सीमित था, आज वहां लोगों की हिस्सेदारी व भागीदारी की बात कही जा रही है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार पर नियन्त्रक का कार्य करता है। भ्रष्टाचार के अध्ययन हेतु प्रतिष्ठित संस्था 'ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनल', के द्वारा प्रकट आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारत के विकास को अवरुद्ध करने वाला, निर्धन की रोटी को छीनने वाला कारक भ्रश्टाचार ही है किन्तु भ्रष्टाचार के भस्मासुरी दैत्य से मुक्ति पाने हेतु सूचना का अधिकार एक सशक्त हथियार है सूचना का अधिकार वर्तमान स्थिति में अनिवार्य बन जाता है, जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों तथा आर्थिक नीतियों में हो बदलाव के कारण आज जनता प्रभावित हो रही है। अमल में आने के बाद से अब तक इसके इस्तेमाल से जनहित में कई सूचनाएं सामने आई जिनसे कई बड़े घोटालों का रहस्योद्घाटन हुआ जैसे–महाराश्ट्र में सत्तर हजार करोड़ रुपये का घोटाला, जिसका पर्दाफाश आरटीआई कार्यकर्ता अंजली दामनिया ने किया नतीजतन महाराश्ट्र के सिचांई मन्त्री अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा, उन पर आरोप लगा कि उन्होनें अपने निजी हितों के लिए सिंचाई परियोजनाओं का लाभ लिया, डॉ0 जाकिर हुसैन ट्रस्ट मामला, राबर्ट वाड्रा जमीन मामला, अंबाला जिले में मनरेगा योजना में करोड़ों रुपये का घोटाला आदि मामले उजागर हुए है। मन्त्रियों की सम्पत्ति का विवरण देने की व्यवस्था 1964 में की गई थी जब केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल द्वारा इसके लिए प्रस्ताव पास किया। लेकिन इसका पूरी तरह से पालन वर्तमान में हुआ तो इसके पीछे बहुत से आरटीआई कार्यकर्तायों का दबाव था। अभी केन्द्र सरकार ने तय किया है कि अधिकारियों और मन्त्रियों के विदेशी दोरों के विवरण वेबसाइट पर डाले जाऐंगें। सुप्रीम कोर्ट और आठ हाई कोर्ट के न्यायधीशों द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरण वेबसाईट पर डाले गये क्योंकि आरटी के जरिये उन्हें 1997 के प्रस्ताव की याद दिलाई गई। सूचना के अधिकार से लोगों में राज्य प्रणाली के प्रति एक नई आशा जागी है। यह कानून जन साधारण के लिये न केवल नई सम्भवनाएं व आशएं खोलता है बल्कि नौकरशाही के उपर से राजनीतिक दबाव कम करने में भी सहायता करता है। (हरनिश पाण्डे)

सूचना का अधिकार कमियां व चुनौतियॉ

किसी भी अधिकार की धारणा उसके साथ आने वाले दायित्व के बिना की नहीं जा सकती। हर नागरिक को, हर भारतीय को सरकारी या सरकार पोषित संस्थाओं की खबर लेने का हक इस अधिकार ने दिया है। दूसरी ओर जाहिर है कि यह कानून नागरिक से यह अपेक्षा करता है कि वह अपनी जागरुकता बनाये रखे, आंख, कान खुले रखे ताकि उसका अधिकार सलामत रहे। प्रसार माध्यम वाले उन तमाम झरनों की तलाश में रहें जहां से नाजायज कमाई आती है। आम आदमी को इस मुहिम में शामिल होना चाहिए अन्यथा अन्धेरा और घना होगा ओर हत्याएं और आत्महत्याएं बढ़ती जाऐंगीं। इस कानून की नजर में आम आदमी हमारे लोकतन्त्र का एंटी वायरस है। (श्रीराम मुण्डे)11 सूचना का अधिकार की धारा 4 हर एक सरकारी विभाग को स्वतः सूचनाएं उद्घाटित करने को बाध्य करती है । यह धारा इस कानून की आत्मा है। इसके जरिए स्वतः ही पूरे देश का तन्त्र पारदर्शी हो सकता है, परन्तु कानून लागू हो जाने के सात साल बाद किसी भी राज्य या केन्द्र सरकार ने धारा 4 को लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं दर्शायी है। कानून में 30 दिन में सूचना न मिलने पर उसी विभाग के उच्च अधिकारी के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। यदि सरकारी तन्त्र ठीक से काम करता तो सूचना आयोगों में इतने मामले लंबित न होते ।सूचना के अधिकार कानून का व्यापक प्रचार–प्रसार भी बेहद जरूरी था, मगर इस दिशा में प्रयास बहुत गौण रहे। सरकारी तन्त्र पर लगाम कसने के लिए सूचना आयोग की स्थापना की गई परन्तु सरकारी तन्त्र को ठीक करने की बजाय सूचना आयोग इसी तन्त्र के सेवानिवृत अधिकारियों का पुर्नस्थल बनाने लगे हैं।

यह सत्य है कि प्रारम्भिक दौर से अब आरटीआई आवेदनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। यह उत्साहवर्धक है। जागरुकता पिछले सात वर्षों के दौरान बढ़ी है सूचना के अधिकार मिलने से खुलापन तो आया पर कुछ समस्याएं पैदा हो गई हैं। ऐसे आवेदक भी हैं जो कई बहुत पुरानी सूचनाएं इकलौते आवेदन के साथ मांगते हैं। ऐसे आवेदनों के साथ निपटना कठिन हो जाता है। लोग कानून के बारे में तो जागरूक हैं लेकिन इसे कैसे और कहां प्रयोग करना है, किस प्रकार की सूचनाएं लेने के लिए करना है, इसके बारे में अभी लोगों को आधी अधूरी जानकारी है।चूंकि यह एक सशक्त और प्रभावी कानून है इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। सरोकार का एक विषय यह भी है कि गरीबी रेखा के नीचे के मानदण्ड का इस कानून का इस्तेमाल में दुरुपयोग होता है। चूंकि कानून के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों को सूचना निःशुल्क दी जाती है लेकिन कई बार निःशुल्क की सुविधा अमीर तबके के लोग इसका इस्तेमाल करते है। ऐसी प्रवृति सरकारी पैसे का नुकसान और दुरुपयोग करती है। कुछ आवेदनों में केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर एक ही प्रार्थनापत्र में सूचनाएं मांग ली जाती हैं। लोगों को सूचना के अधिकार का तो पता है लेकिन जानकारी किससे लेनी है यानी सूचना अधिकारी कौन है, क्या पूछना है, अपील के लिए क्या रास्ता है, और उसके बाद उसका प्रयोग कैसे करना है, इससे अब भी बहुत से लोग अनभिज्ञ हैं। सूचना के अधिकार के प्रयोग में सामाजिक हित निहित है परन्तु ऐसे भी आवेदन किए जाते हैं जिसके पीछे कोई सामाजिक सरोकार, लक्ष्य या सार्वजनिक हित की भावना नहीं होती। इस प्रकार के आवेदन केवल सरकारी कार्यलयों का बोझ बढ़ाते हैं। सूचना के अधिकार की एक ओर चुनौती इसके विस्तार क्षेत्र से सम्बन्धित हैं अब भी कई क्षेत्र इसके दायरे से बाहर हैं जिनको इस अधिकार के अर्न्तगत लाया जाना आवश्यक है। वर्तमान में, सूचना का अधिकार केवल सरकारी क्षेत्र में लागू होता है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के निगम तथा सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करने वाले संस्थान भी शामिल हैं प्रारम्भ में निर्णय लेने में बाधक समझे जाने वाला सूचना अधिकार अब सार्वजनिक निगमों की छवि और कार्यप्रणाली सुधारने में कारगर सिद्ध हो रहा है। निश्पक्षता, पारदर्शिता, ईमानदारी व जवाबदेही को प्रोत्साहित कर यह कॉपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी ;बैद्ध की अवधारणा टिकाउ और समावेशी आर्थिक –सामाजिक विकास से बड़ी निकटता से जुड़ी है साथ ही यह पहल कॉपोरेट क्षेत्र की छवि सुधारने और उसमें निवेशकों का विश्वास बढ़ाने का भी अहम औजार है। (डॉ. यूडी चौबे)12 सूचना निजी और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जवाबदेही के विचार से न केवल संसाधनों का न्यायसंगत इस्तेमाल होगा, बल्कि समूचे तन्त्र की कार्यकुशलता बढ़गी। सूचना का अधिकार का विस्तार जन कल्याण क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाएगा। अगर सार्वजनिक धन का प्रयोग करने वाले निजी उद्यमों को सूचना के अधिकार के दायरे में लाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नही होगी। विश्व के 19 देशों में निजी क्षेत्र को सूचना के अधिकार में सूचना के अधिकार के अर्न्तगत लाया जा चुका है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इण्डिया के हालिया सर्वे से यह तथ्य उजागर हुआ है कि सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों द्वारा अधिक जवाबदेही के गुण अपनाने के बाद उनकी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता में बढोतरी हुई है। इस रिर्पोट में इस तथ्य को रेखांकित किया है कि निजी क्षेत्र के अधिकारियों में भी घूसखोरी की प्रवृति घर कर चुकी है। इसलिए इस क्षेत्र में सार्वजनिक जवाबदेही के विचार के विस्तार से संसाधनों का न्यायसंगत इस्तेमाल होगा और तन्त्र की कार्यकुशलता बढ़ेगी। परिणामस्वरूप अधिक तेजी से टिकाउ और संतुलित आर्थिक विकास सम्भव हो सकेगा। माजा दारुवाला ने इसके व्यापक विस्तार की चर्चा करते हुए कहा है कि भारतीय नागरिकों को उन सभी निर्णयों के बारे में जानने का अधिकार है जो उनके जीवन, लक्ष्यों, इच्छाओं को प्रभावित करते है परन्तु हमें कैबिनेट की किसी मामले पर हुई बैठक, उस पर हुए वाद–विवाद या निर्णयों के बारे में जानने का अधिकार नहीं हैं। सरकार से बाहर कुछ ही लोग हैं जो केन्द्र व राज्य स्तर पर कैबिनेट में हुए वाद–विवाद या लिए गये निर्णयों के बारे में विस्तार से जानते हैं जबकि ये निर्णय स्वतन्त्र रुप से नहीं लिए जाते इन पर व्यापक रुप से अनेक बाहरी तत्वों (लॉबि, दबाव समूहों, व्यवसायी) का दबाव होता है। अपने सात साल के संक्षिप्त जीवन पर कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि इनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव से होना इस अधिकार के निश्प्रभावी होने की आशंका खड़ी कर देता है। श्री गांधी ने सूचना अधिकारी रहते हुए पैंडिग पड़े हुए आवेदनों को निपटने का रिकार्ड बनाया है। उनके अनुसार कई आवेदन कर्ताओं को यह मालूम नहीं कि सूचना कैसे मांगी जाती है। लोगों को इस सन्दर्भ में शिक्षित किया जाना आवश्यक है कि आवेदन कैसे मांगे जायें।[13] हाल में ही प्रधानमन्त्री ने

सूचना का अधिकार लागू होने की सातवीं वर्षगांठ पर (15 octobar 2012) के मौके पर दिए गए भाषण में सूचना के अधिकार कानून का दुरुपयोग, निजता के अधिकार और पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप पर बात की है। इससे पहले से ही गोपनीयता की शिकार सत्ता तंत्र में बैठे लोगों में यह सदेंश गया कि सूचना के अधिकार कानून को बेहद लचर तरीके से लागू किया जा सकता है। शीर्श स्तर पर इस तरह के बयान का अधिकारियों में नकारात्मक सदेंश जाता है। अभी तो सूचना के अधिकार कानून को जन–जन तक पहुॅचाने का काम ही नहीं हुआ है, अभी तो इसका पूरा उपयोग नहीं भी हो पाया है कि कथित दुरुपयोग की बहस छेड़कर जनता के हाथ में आई शक्ति को सीमित करने का प्रयास हो रहा है। वर्तमान मे सूचनाएं प्राप्त करने में बहुत बाधाएं आ रही हैं। सूचना अधिकार कानून को काम में लाने वालों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इस अधिकार का प्रयोग करने वालें कार्यकर्तायों पर गंभीर जानलेवा हमले तथा उनकी हत्या चिन्ता का विषय है। नदीम सैयद ;अहमदाबादद्ध शेहला मसूद (वन्य व पर्यावरण सरंक्षण कार्यकर्ता) अखिल गोगाई, असम के गोलाघाट जिले में संपूर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना में सवा करोड़ और इन्दिरा आवास योजना में साठ लाख रुपये के घोटने को उजागर किया, नियामत अंसारी जिन्हानें झारखण्ड के लातेसर जिले में मनरेगा योजना में व्याप्त घोटाले का पर्दाफाश किया आदि वे आरटीआई कार्यकर्ता है जिन्होने अपर्याप्त सुरक्षा के कारण इसके प्रयोग के दण्ड के रुप में अपनी जानें गंवाईं है। अपने सात साल के जीवन काल में सूचना के अधिकार कानून को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अन्य तमाम समस्याओं के अलावा इस कानून के अलावा इस कानून के तहत हास्यस्पद जानकारियों का मांगा जाना प्रमुख परेशानी बन चुकी है। चूंकि इस कानून के सख्त प्रावधान सूचना अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का जवाब देने के लिए बाध्य करता है इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में संसाधनों की बर्बादी होती है। निष्कर्षतः सूचना का अधिकार नागरिकों के हाथों में एक सशक्त हथियार है। अगर कार्यपालिका के पास 'शासकीय गोपनीयता कानून'(official secret act) है, तो विधायिका के पास 'ससंदीय विशेषाधिकार'(parliament privileges) है, न्यायपालिका के पास 'न्यायलय की अवमानना' (contempt of court) सम्बन्धी कानून है तो नागरिकों के पास भी सूचना के अधिकार के रुप में एक अचूक हथियार आ गया है। यदि इसका कुशलतापुर्वक व विवेकपूर्ण ढ़ंग से प्रयोग किया जाए तो इससे न केवल देश की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आयेगा, बल्कि यह लोकतन्त्र के विकास में भी 'मील का पत्थर' साबित होगा। हालांकि जैसे जैसे लोग इस कानून के प्रति जागरूक हो रहे हैं, मांगी जाने वाली सूचनाओं में गुणवता में सुधार दिख रहा है लेकिन अभी और भी सुधार होना आवश्यक है। आवेदकों को यह पता होना चाहिए कि उन्हें क्या सूचना मिल सकती है और क्या नहीं। इसमें कोई सदेंह नहीं है कि यह अधिनियम सरकारी कार्यालयों के फैंसलों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाता है। जरुरत इस बात की है कि निचले स्तर पर ग्राम पंचायतों और स्कूलों में इसके प्रति जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाये जायें। आरटीआई आमजन के रोजमर्रा के जीवन के साथ जुड़ा कानून है और इसमें दुरुपयोग होने की आशंका और सुशासन की क्षमता दोनों हैं, इसलिए प्रतिबद्धता हर स्तर पर होनी चाहिए। चूंकि आम नागरिक ही इस कानून के जनक हैं और वे ही इसके रक्षक भी इसलिए सूचना अधिकार का जनता को निरन्तर उपयोग करना होगा लोकतन्त्र को ठीक ढ़ंग से चलाना एक गहन सामुहिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया है, जिसे सुचारु रूप से चलाने के लिए तथा तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लोगों के हाथों में सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण अस्त्र है, इसे बचाने के लिए जनता को ही प्रयास और तेज करने पड़ेगें।

सन्दर्भ सूची

1. www.rti.gov.com.
2. पी.एम.बख्शी,''भारत का संविधान''
3ण पी.एम.बख्शी,''भारत का संविधान''
4.www.uno.com.
5.www.rti.gov.in
6.श्रीराम मुण्डे ,''सूचना अधिकार'' वाणी प्रकाशन दरियागंज, नई दिल्ली, पृष्ठः6
7.कौटिल्य,''अर्थशास्त्र''(1:15)
8.माजा दारुवाला "Not RTI for Cabinet Pap" संपादकिय लेख 'The Tribune' 29मई 2009
9.अरुणा रॉय 'सौ तालों की एक चाबी है यह कानून' संपादकीय लेख, दैनिक जागरण 21 अक्तुबर 2012 10.प्रदीप कुमार, 'कानून के प्रति जागरुकता' संपादकीय लेख,'दैनिक जागरण' 21 अक्तुबर 2012
11.श्रीराम मुण्डे, ''सूचना का अधिकार'' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
12. यू डी चौबे 'जवाबदेही की जरुरत' संपादकीय लेख 'दैनिक जागरण' 30 अक्तुबर 2012